


56
15
A3

मुन्तकिली प्रकरण सं० 56/2015 अनवानी 1-मुखराम 2-लालचंद 3-रामलाल पुत्रगण 4-मु० अन्नी 5- मु० गुडडी 6-मु० इन्द्रा पुत्रीया गणेशाराम 7-शयोपति उर्फ सीता पत्नि हरीराम पुत्र गणेशाराम 8-हनुमान 9-रमेशकुमार पुत्रगण हरीराम नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता शयोपति बनाम 1-उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ 2-कुंभाराम 3-अमराराम 4-धर्मपाल 5-बलदेव पि० अमराराम 6- सुखदेव पुत्र कुंभाराम जाति जाट नि० राजियासर तह० सूरतगढ 7-सरबती पत्नि नरेन्द्र 8-सतबीर पुत्र नरेन्द्र 9-जमना पत्नि जेठाराम




21.09.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री विरेन्द्र सिंहाग उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। प्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रा० पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित राजस्व वाद प्रकरण संख्या 185/2008 अनवानी मुखराम आदि बनाम कुम्भाराम आदि मय सलंगन प्रकरण सं० 80/09 जमना बनाम सरकार मुखराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल कराने के लिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।


(पी.सी.किशन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1670
२६-९-१६